अति संवेदनशील वर्ग : बच्चे

बच्चा का स्वरूप एवं अर्थ :-

1.) बच्चा का अर्थ UN के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा है।

2.) बाल श्रम अधिनियम 2016 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्ति बच्चे हैं।

3.) POCSO Act 2012 के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्ति बच्चे हैं।

4.) NPC - 2013 के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है।

इसलिए सामान्य रूप से 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा की संज्ञा दी गई है।

भारत में बच्चों का जनांकिकीय स्वरूप :-

(i) 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल बच्चों की संख्या 39% है, जिसमें 0-14 वर्ष के बच्चों की संख्या 30.76 प्रतिशत है। और 14-18 वर्ष के बच्चों की संख्या 8.24% है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR
Scanned by CamScanner

जिसमें 52% पुरुष बच्चे और 4% महिला बच्चे शामिल हैं।

World population Report 2024 के अनुसार भारत में 0-14 वर्ष के बच्चे 24% हैं।

भारत में बच्चों की समस्याऐं/संवेदनशीलता का स्वरूप :-

1.) स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी समस्या :-

- भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 50% से भी अधिक बच्चे कम वजन एवं 79% बच्चे रक्त की कमी के शिकार हैं।

2.) निरक्षरता की समस्या।

3.) बाल श्रम की समस्या।

4.) बाल अपराध की समस्या।

5.) बच्चों में यौन शोषण की समस्या।

6.) बच्चों की तस्करी एवं अंग तस्करी की समस्या।

7.) बाल भिक्षावृत्ति की समस्या।

8.) बाल विवाह की समस्या।

9.) दुर्व्यवहार एवं हिंसा की समस्या।

10.) मादक पदार्थ सेवन की समस्या।

11.) सशस्त्र संघर्ष एवं नक्सलवाद की समस्या

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

12.) कन्या भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या।

भारत में बच्चों के उपरोक्त समस्याओं / संवेदनशीलता के कारण :-

1.) गरीबी एवं बेरोजगारी।

2.) स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव तथा मंहगी स्वास्थ्य सुविधायें।

3.) अपर्याप्त, मंहगी एवं दोहरी शिक्षा प्रणाली और रोजगारोन्मुख शिक्षा का अभाव।

4.) शिक्षा के महत्व के प्रति अभिभावकों में जागरूकता की कमी।

5.) परम्परागत सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वास

6.) भौतिकवादी संस्कृति का प्रसार, महत्वाकांक्षा में वृद्धि एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।

7.) कठोर कानून का अभाव और उनके समुचित क्रियान्वयन का अभाव।

बच्चों के रक्षोपाय हेतु सक्रिय एजेंसी :-

1. Central Social Welfare Board, 1953

2. Food & Nutrition Board (FNB) 1964 / 1993

3. Ministry of women and child development 2006

KCS IAS

Scanned by CamScanner

4. National Commission for protection of Child Right. 2007

5. Central Adoption Resource Authority (CARA), 2015

(इसने 2015 में दत्तक ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया है)

बच्चों के रक्षोपाय हेतु किये गए संवैधानिक / वैधानिक प्रयास :-

संवैधानिक प्रयास :-

1. Art-21(A) - 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार।

2. Art. 23 (A) - बच्चों का जबरन व्यापार, अवैध व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध

3. Art-24- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजन का निषेध।

4. Art - 39(e) - बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग रोकने का निर्देश।

5. Art - 39 (f) - बच्चों के स्वस्थ एवं गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करने का निर्देश।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

6. Art-45 - 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल-अवस्था देख-रेख एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराने का निर्देश।

7. Art-51 (d) बच्चों को उचित शिक्षा देना अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य।

वैधानिक प्रयास :-

1. PC & PNDT Act 1994/2003
2. Prevention of child Marrige Act, 2006
3. The right of children to free & compulsary education Act - 2009
4. Protection of children from sexual offences Act, 2012 (Amendment in 2020)
5. Protection of children from sexual offences & amendment in 2020
6. Juvenile Justice Act - 2015 (Amendment in 2021)
7. Child labour (Prohibition and Regulation Act 1986/2006/2016
8. Trafficking in persons (Prevention Care & Rehabilitation) Bill, 2021 (Lapse)

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयासों का मूल्यांकन एवं सुझाव

1.) उपलब्धियाँ / सफलता की चर्चा करें।

2.) कमियाँ / अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर।

3.) सुझाव / उपरोक्त कमियों के सन्दर्भ में।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner